

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2011—चैत्र 10, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2011

क्र. एफ ए-3-14-2011-1-पांच (13).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-195-2005-1-पांच (20), दिनांक 31 मार्च 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2011 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2011

क्र. एफ ए-3-14-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-14-2011-1-पांच (13), दिनांक 30 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th March 2011

No. F A-3-14-2011-1-V (13).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F. A-3-195-2005-1-V (20), dated 31st March 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, serial number 5 and entris relating thereto shall be omitted.

This amendment shall come into force with effect from 1st April 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2011

क्र. एफ ए-3-14-2011-1-पांच (14).—यतः राज्य सरकार मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) के अधीन कर के अपवंचन का निवारण करने या उसे रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक समझती है;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थान पर, 1 अप्रैल 2011 से जांच चौकी स्थापित करती है तथा नाके का निर्माण करती है :—

सारणी

जांच चौकी तथा नाके के स्थान का नाम तथा विवरण (1)	जांच चौकी तथा नाके की अवस्थिति (2)
इच्छापुर जांच चौकी-भोटा फाटा एदलाबाद (मुक्ताई नगर) मार्ग पर ग्राम इच्छापुर से 2 कि.मी. आगे.	इन्दौर-इच्छापुर-एदलाबाद (मुक्ताई नगर) मार्ग, इच्छापुर से एदलाबाद की ओर एम.एस.एच. 8 पर 199.4 कि.मी. तथा 200.4 कि.मी. के मध्य.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2011

क्र. एफ ए-3-14-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-14-2011-1-पांच (14), दिनांक 30 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th March 2011

No. F A-3-14-2011-1-V (14).—WHEREAS, the State Government considers it necessary so to do with a view to prevent or check evasion of tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby sets up check post and erects barrier at the place Specified in the Table below, from 1st April 2011 :—

TABLE

Name and description of place of check post and barrier (1)	Location of check post and barrier (2)
Ichhapur Checkpost - Bhota Fata, 2 K.M. from village Ichhapur on Edlabad (Muktai Nagar) road.	Indore - Ichhapur-Edlabad (Muktai Nagar) road, between 199.4 K.M. and 200.4 K.M. on M.S.H. 8 from Ichhapur towards Edlabad.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.